रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 267] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2014/भाद्र 24, 1936
No. 267] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014/BHADRA 24, 1936

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 सितम्बर, 2014

एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2014-15/09/1492.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय चौथी मंज़िल, विबग्योर टॉवर, प्लॉट सं. सी 62, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 16 सितम्बर, 2014 को प्रारंभ होने वाली और 15 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्यधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा ।

राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4 / असा. / 69—जैड बी / 14]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th September, 2014

LAD-NRO/GN/2014-15/09/1492.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by MCX Stock Exchange Limited, having its registered office at 4th Floor, Vibgyor Tower, Plot No. C-62, G Block, Bandra Kurla Complex (BKC), Bandra (E), Mumbai - 400051 and being satisfied that it would be in the interest of trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 16th day of September, 2014 and ending on the 15th day of September, 2015 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Exchange shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

RAJEEV KUMAR AGARWAL, Whole Time Member

[ADVT. III/4/Exty/69-ZB/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.